राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2024-25 पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल में रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार विधान मंडल में दिनांक 21 अगस्त 2026 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2024-25 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (23.99 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।
- राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:

राजकोषीय स्थिति

- राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है, जैसा कि एफआरबीएम एक्ट और उसमें किए गए संशोधनों में बताया गया है
- 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के तहत तय किए गए लक्ष्य (जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत, जिसमें विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए जीएसडीपी का 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की सीमा भी शामिल है) से अधिक था। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अनुमत कुल राजकोषीय सीमा (जीएसडीपी का 4.04 प्रतिशत) से भी ज़्यादा था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। हालांकि, राज्य सरकार केवल 2011-12 और 2012-13 के वर्षों में ही राजस्व अधिशेष बनाए रख सकी और उसके बाद, 2024-25 तक लगातार बारह वर्षों से राजस्व घाटा बना हुआ है।
- 20224-25 के दौरान बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात 37.10 प्रतिशत था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (38.20 प्रतिशत) के भीतर था।

राज्य का वित्त

- वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी में पिछले साल के मुकाबले 2024-25 में 12.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह ₹17,04,339 करोड़ रही। जीएसडीपी की 12.02 प्रतिशत की वृद्धि दर,जीडीपी की वृद्धि दर (9.78 प्रतिशत) से ज़्यादा थी।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 2,27,250.02 करोड़) पिछले साल की तुलना में 11.79 प्रतिशत बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों की तुलना में 14.07 प्रतिशत कम रहीं।
- पूंजीगत प्राप्तियां 2023-24 में ₹58,687 करोड़ से 1.59 प्रतिशत बढ़कर 2024-25 में ₹59,622 करोड़ हो गईं, जिसमें लगभग 82.07 प्रतिशत हिस्सा आंतरिक ऋण से आया।
- 2024-25 के दौरान कुल खर्च में राजस्व व्यय का हिस्सा 89.68 प्रतिशत था। यह 2020-21 में ₹1,78,309 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹2,69,200 करोड़ हो गया। 2024-25 के दौरान, राजस्व व्यय पिछले साल की तुलना में 11.13 प्रतिशत (₹26,969 करोड़) बढ़ा।
- 2024-25 के दौरान, पूंजीगत व्यय कुल खर्च का 10.23 प्रतिशत था। हालांकि, पूंजीगत परिव्यय (₹30,727 करोड़) गत वर्ष (₹26,646 करोड़) की तुलना में ₹4,081 करोड़ बढ़ा।
- प्रतिबद्ध व्यय 2020-21 में ₹1,03,944 करोड़ से ₹44,320 करोड़ (42.64 प्रतिशत) बढ़कर 2024-25 में ₹1,48,264 करोड़ हो गया।
- 2024-25 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य क्रमशः 14.97 प्रतिशत और 12.64 प्रतिशत था । 2024-25 के दौरान अर्थ-सहाय्य का भुगतान (₹34,024 करोड़) गत वर्ष (₹28,402 करोड़) की तुलना में 19.79 **प्र**तिशत बढ़ा।
- मार्च 2025 के अंत में, रोकड़ शेष ₹799 करोड़ था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 271 दिनों के लिए सामान्य और विशेष मार्गोपाय का लाभ उठाया और ₹180.01 करोड़ का ब्याज चुकाया।

बजटीय प्रबंधन

- 2024-25 के दौरान कुल ₹ 5,23,305.80 करोड़ के बजट प्रावधान के मुकाबले, विभाग ने ₹ 4,62,702.16 **करोड़** खर्च किए, जिससे कुल ₹ 60,603.64 करोड़ की बचत हुई।
- वर्ष के दौरान लिया गया ₹ 17,214.64 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि वर्ष के दौरान व्यय मूल बजट के स्तर तक भी नहीं पहुँचा।
- 2024-25 के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा एक अनुदान (सार्वजनिक निर्माण विभाग, पूंजीगत-दत्तमत) के तहत दी गई मंज़ूरी से ₹ 74.86 करोड़ अधिक खर्च किए गए, जिसे संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, 2022-2023 से 2023-2024 तक की अवधि के लिए ₹ 21,147.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय नियमितीकरण के लिए लंबित है।

- 2024-25 **के** दौरान पाँच मामलों (पाँच अनुदानों के तहत) में बचत ₹ 1,177.62 करोड़ (अभ्यर्पण को छोड़कर) प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक थी। इसके अलावा, दो अनुदानों के तहत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।
- 26 अनुदानों के तहत 35 प्रकरणों में, 2022-23 **से** 2024-25 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में लगातार ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई।
- 2024-25 के दौरान, 64 अनुदानों में से 16 में बजट प्रावधान का 70 प्रतिशत से भी कम उपयोग हुआ, जो ऐसी समस्याओं का संकेत है जिन पर सरकार को सूक्ष्मता से समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि सुधारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें।
- क्रियाकलाप,रखरखाव,मरम्मत और नवीनीकरण आदि से संबंधित ₹ 931.66 करोड़ का राजस्व-प्रकृति का खर्च 'पूंजीगत व्यय' के तहत दर्ज किया गया था।

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं

- राजस्थान सरकार ने वर्ष 2024-25 के अपने बजट में किसी भी बजट से इतर उधार को प्रकट नहीं किया। स्वीकृति आदेशों और सार्वजनिक उपक्रमों /निगमों व अन्य संस्थाओं से प्राप्त जानकारी की और जांच करने पर पाया गया कि राज्य सरकार ने ₹9,410 करोड़ का ऋण बजट के बाहर से लिया था।
- 31 मार्च 2025 तक, विभिन्न विभागों ने 2010-11 से 2023-24 की अवधि के लिए कुल 449 उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक़) में प्रस्तुत नहीं किए, जिनकी कुल राशि ₹427.33 करोड़ थी। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निहित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करना इनके गलत इस्तेमाल का जोखिम बना रहता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि राज्य सरकार इस मामले पर सूक्ष्मता से नज़र रखे और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समय पर प्रस्तुत कराने के लिए संबंधित व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराए।
- 31 मार्च 2025 तक, कुल 75 पीडी खाते जिनमें ₹17.18 करोड़ का शेष था,जो विगत दो वर्षो (2023-25) से निष्क्रिय रहे, इनमें से 23 निष्क्रिय पीडी खातों में पिछले दो वर्षो से अवशेष शून्य था।
- 2020-25 के दौरान,जिला परिषद निधि,पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में बड़ी रकम बिना उपयोग के पड़ी रही। 2024-25 के दौरान इन निधियों में अंतिम शेष क्रमशः ₹1,718.34 करोड़, ₹1,912.68 करोड़ और ₹1,514.39 करोड़ था।
- राज्य सरकार ने 31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों में सरकारी पैसे के गबन/दुरूपयोग (333) और चोरी/हानि (432) के 765 मामलो की जानकारी दी, ऐसे लंबित मामलों की कुल राशि ₹152.08 करोड़ थी।